

प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा-बैजनाथ-कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के कि०मी० 100 गुडम स्टेट से विजयपुर मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.710 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के एवज में उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग देहरादून के शासनादेश सं०-2882 /XVIII(II) /11-18 (120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं संशोधित शासनादेश सं०-397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29.2.2012 व शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18 (120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के क्रम में इस कार्यालय के आदेश सं०-6441/ छब्बीस-33 (2013-2014) गोपेश्वर दिनांक 20 जुलाई, 2015 के अनुसार ग्राम तलवाड़ी स्टेट प०वृ० तलवाड़ी, तहसील थराली की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-62 के खसरा नं०-2179 रकबा 1.250 हे० मध्ये 1.050 हे०, ख०खा०सं०-64 के खसरा नं०-1407 रकबा 2.930 हे० मध्ये 2.670 हे० एवं ख०खा०सं०-65 के खसरा नं०-2142 रकबा 2.230 हे० मध्ये 1.980 हे०, कुल 5.700 हे० एवं ग्राम लोड़ा प०वृ० तलवाड़ी की ख०खा०सं०-15 के खसरा नं०-506 रकबा 2.131 हे० 1.720 हे० अर्थात् कुल 7.420 हे० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है और तहसीलदार थराली की आख्या दिनांक 11 सितम्बर, 2015 के अनुसार उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/अमलदरामद किया जा चुका है।

(2013-14)
XXVI-33
5786-3-2016
16-3-2016

(विनोद कुमार सुमन),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3475/छब्बीस-33 (2013-2014) गोपेश्वर दिनांक: 16 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार थराली।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
6. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय, चमोली।
7. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० प्रखण्ड, कर्णप्रयाग।

कर्णप्रयाग।

(विनोद कुमार सुमन),
जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रेषक,

तहसीलदार
थराली।

सेवा में,

जिलाधिकारी
चमोली।

पत्र संख्या 138/र0का0-विविध / 2014-2015 दिनांक: थराली: 11 सितम्बर 2015।

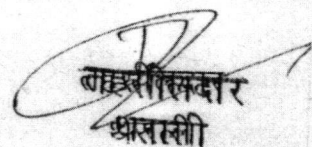
विषय :-गुडम स्टेट विजयपुर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.710 है0 भूमि के बजाय 7.420 है0 भूमि का नामान्तरण वन विभाग के नाम अमलदारामद आख्या का प्रेषण। महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 5441/छब्बीस-33 (2013-2014) गोपेश्वर: दिनांक: 20 जुलाई 2015 एवं का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त से संदर्भित शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार तहसील थराली अन्तर्गत गुडम स्टेट विजयपुर मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.710 है0 भूमि के बजाय 7.420 है0 भूमि का नामान्तरण वन विभाग के नाम अमलदारामद किया जा चुका है।

अतः अमलदारामद उपरान्त खतौनी नकल सहित अनुपालन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न - यथोपरि नकल खतौनी - 2 प्रति।

भवदीय,


तहसीलदार
थराली

मूलख प्रपत्र सं० प-11

सकल 1121 बालीनी गृह - नलवाडी स्टोर व गृह नलवाडी नलवाडी

(कल 1422 के का 1427 से)

नौरी - 5 (2) प्रपत्र व 2 नौरी
2179 1.250 प्रकाशी

1 1.250

नौरी - 5 (3) प्रपत्र (9) निसेने इमादली नकदी के वन है।
1407 2.930 नकदी वन

1 2.930

नौरी - 5 (3) प्रपत्र (9) निसेने इमादली नकदी के वन है।

1 2.930

65 नौरी
2142 2.230 नकदी प्रकाशी

1 2.230

नौरी - 5 (3) प्रपत्र (9) निसेने इमादली नकदी के वन है।
नौरी - 5 (3) प्रपत्र (9) निसेने इमादली नकदी के वन है।

नौरी

नौरी

नौरी

नौरी

